XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R-154.5-I-15 जिला टीकमगढ़.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-6-15	प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी न्यायायल कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्र0 क0 23/पुनर्विलोकन/2011–12 में पारित आ0 दि0 03/01/2013 के विरूद्व म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959, जिसे आगे संहिता कहा जावेगा की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक क0 एक बंदू तनय हल्कू सौर द्वारा अपनी भूमि स्वामित्व की ग्रम डुमरउ मौटा स्थित भूमि खसरा नं 230/2 रकवा 0.849 है0 तथा खसरा नं0 94/4 रकवा 0.227 है0 कुल रकवा 1.076 है0 एवं ग्राम नारगुड़ा स्थित भूमि खसरा नं0 07 रकवा 1.90 है0 , 08 रकवा 2.606, खसरा नं0 09 एवं 120 में से अपने हिस्से की भूमि रकवा 0.627 है0 भूमि का बिकय आवेदक क0 एक ने दो एवं तीन के पक्ष में कलेक्टर टीकमगढ़ से प्रकरण कमांक 06/अ–21/2008–09 में पारित आ0 दि0 19/06/2009 के द्वारा अनुमति लेने के उपरांत किया गया। तदुपरांत बिकय की अनुमति वावद कलेक्टर टीकमगढ़ के आदेश दिनांक 19/06/2009 में यह कमी पाये जाने पर कि आदेश पारित करते समय कहीं यह उल्लेख नहीं किया गया था, कि कितनी कीमत में यह भूमि बिकय की जावेगी। तथा किस ब्यक्ति द्वारा कय की जाबेगी। कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता की धारा 51 के तहत प्रकरण में पुनर्विलोकन किये जाने की अनुमति राजस्व मंडल म0 प्र0 ग्वालियर से प्राप्त की गई व आदेश दिनांक 03/01/2013 के द्वारा पूर्व में पारित आ0 दि0 19/06/2009 को निरस्त करते हुये अंतरण को शून्यवत घोषित किया। जिसके बिरूद्व आवेदकगण द्वारा यह निगरानी प्रसतुत की गई हैं। निगरानी के साथ धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र मय शपथपत्र के प्रस्तुत किया गया है। कारण उचित एवं समाधानप्रद होने से प्रकरण ग्राहय किया गया। आवेदकगण की ओर से बिद्वान अधिवक्ता श्री अजय श्रीवास्तव द्वारा निगरानी के साथ दस्तावेज प्रस्तुत किये। उन्हें श्रवण किया गया। प्रकरण सुनवाई वावद ग्राहय कर गुण दोंषों पर निराकरण किया जा रहा है। उन्होने अपने तर्को में कहा है कि भूमि स्वामी बंदू तनय हल्कू सौंर द्वारा विधिवत रूप से अपनी भूमि स्वामी स्वत्व की भूमि बिकय करने	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों ए... आदि के ...
	की अनुमति सक्षम प्राधिकारी कलेक्टर से प्राप्त करने वावद विधिवत आवेदन प्रस्तुत किया था। जिसकी कलेक्टर ने तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी से जांच करवाकर प्रतिवेदन प्राप्त किया था । तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भूमि बिकय करने की अनुमति दिये जाने की अनुसंशा की थी, कलेक्टर ने निर्धारित गाईड लाईन के आधार पर बिकय करने की अनुमति दी थी। कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा बिना किसी आधार के यह निष्कर्ष निकाला गया है कि भूमि का पूर्ण प्रतिफल नहीं दिया गया है। कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा 19/06/2009 को बिकय की अनुमति देने व तत्पचात निष्पादित बिकय पत्र में प्रतिफल की कमी की कोई शिकायत बिकेता सरूआ द्वारा नहीं की गई थी। इस कारण उन्होंने पारित आ0 दि0 03/01/2013 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया है। पूर्व कलेक्टर द्वारा तत्समय प्रचलित गाईड लाईन के आधार पर भूमि बिकय की अनुमति दी गई थी। तदनुसार ही उसके प्रतिफल का भुगतान किया गया था, तथा यदि कलेक्टर द्वारा किसी ब्यक्ति बिशेष के नाम से बिकय की अनुमति दी जाती तो वह ब्यक्ति सुविधा एवं शर्तो के अनुसार भूमि कय करता और बिकेता को उसका सही मूल्य नहीं मिलता । आवेदक की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि भूमि का बिकय सक्षम अधिकारी से बिधिवत अनुमति प्राप्त करने के बाद किया गया है। इसमें किसी प्रकार का कपट पूर्ण संब्यवहार नहीं हुआ है। अतएव स्वप्रेरणा से पुनर्विलोकन की कार्यवाही उचित नहीं है। मेरे द्वारा एवं मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भी इसी प्रकार के अन्य प्रकरणों का निराकरण करते हुये कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 03/01/2013 को वैद्य नहीं माना है । जिनकी बिषय बस्तु एक समान होने से इस प्रकरण में भी पारित आदेश दिनांक 03/01/2013 निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। कलेकटर टीकमगढ़ के प्रकरण क0 6/अ–21/2008–09 में पारित आ0 दि0 19/06/2009 में बिबादित भूमि को निर्धारित गाईड लाईन के आधार पर बिकय करने की अनुमति दी है। बिकय उपरांत राजस्व अभिलेख में नामांतरण भी हो चुका है। पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भी प्रकरण कमांक 833/II/2013 रामराजा होम्स विरूद्व शासन एवं अमित कुमार बिरूद्व रानी बगैरह में आदेश दिनांक 22/10/2014 को पुनर्विलोकन आदेश स्थिर रखते हुये कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 03/01/2013 को निरस्त किया है। उपरोक्त बिवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 23/पुनर्विलोकन/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 03/01/2013 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता हैं। फलतः प्रकरण क0 06/अ–21/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 19/06/2009 स्थिर रहने से वादग्रस्त भूमि के बिकय के आधार पर किया गया अमल यथावत रहेगा सदस्य	

पक्षकारों एवं आदि के

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर कैम्प सागर

1. अभिलेख सिंह तनय वीरेन्द्र सिंह सोलंकी A-1545-I-15
2. प्रणय प्रताप सिंह तनय वीरेन्द्र सिंह सोलंकी
   दोनों निवासी श्री प्रहलाद पुरम कालोनी टीकमगढ़
3. बल्लू पुत्र हल्कू सौर,
   निवासी ग्राम अटरिया तह. व जिला टीकमगढ़ .....आवेदकगण

//विरूद्ध//

म.प्र. शासन,
द्वारा कलेक्टर टीकमगढ़ .....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत् धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक ने न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर टीकमगढ़ (म.प्र.) के प्रकरण क्रमाँक 23/पुर्नविलोकन/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 03–01–2013 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि प्रकरण का विवरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, विवादित भूमि खसरा नंबर 94/4 एवं 230/2 रकवा क्रमश/ 0.227 हे0, 0.84 हे0 स्थित डुमरउ मोटा तहसील टीकमगढ़ एवं खसरा नंबर 7, 8, 9 एवं 120 रकवा 0.627 हे0 स्थिर नारगुढा खास आवेदक क. 3 से आवेदक क. 1 व 2 ने रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से कय की थी। विकय के पूर्व आवेदक क. 3 द्वारा विधिवत रूप से कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ से प्रकरण कमांक 6/अ–21/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 19.06.09 को विधिवत विकय की अनुमति प्राप्त करके पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर विकयपत्र निष्पादित किया गया था अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश के उपरांत पुनः अवलोकन की अनुमति लेकर पूर्व की अनुमति आदेश को निरस्त कर अंतरण शून्य घोषित किये जाने का विवादित आदेश दिनांक 03.01.13 जिसके विरूद्ध आवेदकगणों द्वारा द्वितीय द्वारा अपील अपर आयुक्त सागर के समक्ष अधिवक्ता की त्रुटिवश प्रस्तुत करा दी थी किंतु निगरानी प्रस्तुत किए जाने के आधार प्रकरण वापिस लिया जाकर यह निगरानी श्रीमान के समक्ष विधिवत् रूप से प्रस्तुत की जा रही है।

2. यह कि, आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त कानूनी सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।